

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2022—चैत्र 14, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. 10-एफ-1-08-2022-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 430 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 293-क तथा भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 81(4) के साथ पठित धारा 427, 40 और 46 के अधीन एतद्द्वारा, नगरपालिक निगम, इन्दौर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन उपविधियाँ 2022 बनाती है.

## भाग—एक

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम इन्दौर नगरपालिक निगम (वर्षा जल संचयन) उपविधियां, 2022 है।
- (2) ये उपविधियां मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी।
- (3) इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त समस्त नियम, उप-नियम, उपविधियां, आदेश आदि, यदि कोई हों, इन उपविधियों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को निरसित हो जाएंगे। परंतु इस प्रकार निरसित नियमों तथा उपविधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जब तक की ऐसी बात या कार्रवाई, इन नियमों के उपबंधों के अनसंगत हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

## 2. परिभाषाएं.—

- (1) "जलभृत"(Aquifer) से अभिप्रेत है, एक भौगोलिक संरचना जो जल भण्डारण तथा संचारण करती है।
- (2) "बिल्डर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य मकान एवं अन्य भवनों का निर्माण करना है;
- (3) "भवन" में सम्मिलित है, शेड, घर, आवासीय भवन, कार्यालय, उद्योग या व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक भवन, सरकारी तथा अर्ध सरकारी भवन तथा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए आवासीय परिसर;
- (4) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;
- (5) "भू-जल" से अभिप्रेत है, जल स्तर के नीचे मिट्टी के अंतर दानेदार छिद्रों या चट्टान की दरारों में रुका हुआ जल;
- (6) "नगरपालिक निगम अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);

- (7) "जल स्रोत" से अभिप्रेत है, कोई कुआं, जलाशय, बोरवेल या पाइप जलापूर्ति तथा अन्य कोई स्रोत जिसके माध्यम से नगरपालिक निगम, सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जनता को पेयजल आपूर्ति की जाती है तथा उसमें प्राधिकरण द्वारा अधिरूचित कोई कुआ या कोई अन्य पेयजल स्रोत सम्मिलित है।
3. भू-जल संसाधनों में वृद्धि के लिए वर्षा जल संचयन.—वर्षा जल के सतही प्रवाह को रोककर, संग्रहण और भण्डारण के माध्यम से, जलभृता तथा भू-जल संसाधनों के भूमि जल के पुनर्भरण को वर्षा जल संचयन कहते हैं।
4. वर्षा जल संचयन की आवश्यकता.—वर्षा जल संचयन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:—
- (1) भू-जल स्तर के ह्रास को रोकने हेतु;
  - (2) वर्षा जल द्वारा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो शहरी क्षेत्रों में निर्माण के कारण अत्यधिक कम हो चुकी है;
  - (3) जल मिश्रण द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए;
  - (4) भूमिजल का प्रदूषण एवं वाष्पीकरण रोकने के लिए;
  - (5) भू-क्षरण को रोकने के लिए।

#### भाग-दो

5. वर्षा जल संचयन के लिए मूल बातें.—किसी स्थान विशेष पर वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने के लिए भौतिक मॉडल स्थान विशेष पर औसत वास्तविक वर्षा पर आधारित होगा तथा निम्न घटकों पर निर्भर करेगा:—
- (1) जलग्रहण क्षेत्र (Catchment area) में सतही बहाव (Surface runoff) की मात्रा में कमी;
  - (2) हरित क्षेत्र और अभियांत्रिकी कार्यों के माध्यम से पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना;
  - (3) पुरानी वर्षा जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत;
  - (4) छत के माध्यम से वर्षा जल का संचयन;
  - (5) खुले स्थानों के सतही बहाव से वर्षा जल का संचयन।
6. वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए संरचना डिजाइन/अभिकल्प.—भूमि जल संसाधनों में वृद्धि के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की डिजाइन तैयार करने के लिए निम्न मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा:
- (1) क्षेत्र की भू जलीय स्थिति जिसमें जलभृता का प्रकार व विस्तार, मृदा आवरण, भू आकृति, जल स्तर की गहराई व भूमिजल की रासायनिक गुणवत्ता आदि सम्मिलित होगी।
  - (2) सतही जल की उपलब्धता का आंकलन जो कि भू-जल पुनर्भरण के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, मुख्य रूप से गैर प्रतिबद्ध अतिरिक्त मानसून अपवाह के रूप में किया जाता है।
  - (3) ऐसे क्षेत्रों का आंकलन जो अपवाह में योगदान करते हैं जैसे उपलब्ध क्षेत्र, भूमि उपयोग की पद्धति, औद्योगिक, आवासीय, हरित क्षेत्र, पक्का क्षेत्र व छत का क्षेत्रफल आदि।
  - (4) मौसम विज्ञान के घटकों का आंकलन जैसे वर्षा की अवधि, सामान्य पद्धति व वर्षा की तीव्रता इत्यादि।

## भाग—तीन

7. भवनों की छत से वर्षा जल संचयन.— जल संचयन प्रणाली को वर्षा जल को रोकने के लिए जो अन्यथा भवनों की छत से बह जाता है, ऐसी रीति में डिजाइन किया जाएगा कि जल संचयन और पुनर्गर्ण प्रणाली के लिए न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षित हो।
8. वर्षा जल संचयन प्रणाली की आवश्यकता.— वर्षा जल प्रणाली को विभिन्न भवनों पर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित रीति में आवश्यक होगा:—

## (1) आवासीय भवन.—

(एक) 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्र के समस्त आवासीय भवन जो पूर्व से ही निर्मित हैं या जिनका निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, उनकी छत या अन्य यथोचित स्थान पर विहित वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रतिष्ठापित करना आवश्यक होगा।

(दो) भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए ऐसे भवन निर्माणकर्ता का जो 10,000 वर्ग फिट से 25,000 वर्ग फिट के क्षेत्र पर आवासीय भवन निर्माण करना प्रस्तावित है।

(तीन) भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, कोई निर्माणकर्ता जो 25,000, वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्रफल पर आवासीय भवन निर्मित करना प्रस्तावित करता है, वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढा जिसका व्यास (डायमीटर) 6 मीटर तथा गहराई 15 मीटर हो (गड्ढे की गहराई स्थान पर स्थित भूगर्भीय सतह (स्ट्रेटा) अनुसार कम या अधिक हो सकती है) निर्मित करेगा।

## (2) गैर-आवासीय भवन.—

(एक) समस्त गैर आवासीय भवन जो पहले से निर्मित हों या जिसका निर्माण प्रस्तावित हो, के लिए छत पर या अन्य उपयुक्त स्थान पर विहित वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(दो) भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, कोई निर्माणकर्ता जो 10,000 वर्गफीट और 25,000 वर्गफीट के मध्य किसी क्षेत्रफल पर गैर आवासीय भवन निर्मित करना प्रस्तावित करता है, वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढा जिसका व्यास (डायमीटर) 4 मीटर हो तथा गहराई 15 मीटर हो (गड्ढे की गहराई स्थान पर स्थित भूगर्भीय सतह (स्ट्रेटा) अनुसार कम या अधिक हो सकती है) निर्मित करेगा।

(तीन) भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, कोई निर्माणकर्ता जो 25000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल पर गैर आवासीय भवन निर्मित करना प्रस्तावित करता है, वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढा जिसका व्यास (डायमीटर) 6 मीटर तथा

गहराई 15 मीटर हो (गड्ढे की गहराई स्थान पर स्थित भूगर्भीय सतह (स्ट्रेटा) अनुसार कम या अधिक हो सकती है) निर्मित करेगा।

(चार) नगरपालिक निगम, सरकार तथा स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के लिए अपने सभी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।

9. नियमित निरीक्षण.— वर्षा जल संचयन प्रणाली के विधिवत् प्रबंधन के सत्यापन हेतु, इस कार्यविशेष के लिए नियुक्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा, निम्न घटकों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा:—

(एक) छत का जल संग्रहण क्षेत्र;

(दो) छत एवं भूमि पर जल संग्रहण प्रणाली;

(तीन) छत से जल को नीचे की ओर प्रवाह के लिए स्थापित पाइप, नियंत्रण वाल्व एवं फ्लैश पाइप;

(चार) फिल्टर यूनिट;

(पांच) जल संग्रहण एवं स्लिप ओवर की प्रणाली के साथ भंडारण टैंक की जांच।

#### भाग—चार

10. वर्षा जल संचयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रतिभूति रकम.— भवन निर्माणकर्ता को भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निम्नांकित विवरण अनुसार प्रतिभूति रकम जमा करना अनिवार्य होगा :—

अनुक्रमांक	भवन का क्षेत्रफल	रकम (रु०)
1.	140 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	7,000 /—
2.	200 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक	10,000 /—
3.	300 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	12,000 /—
4.	400 वर्ग मीटर से अधिक	15,000 /—

प्रतिभूति रकम, नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण तथा निरीक्षण के पश्चात् निर्माणकर्ता (बिल्डर) को वापस की जाएगी, कि वर्षा जल संचयन प्रणाली विहित रूप से स्थापित एवं सुचारु रूप से कार्य करने की स्थिति में है।

11. कर पर छूट.— नगरपालिक निगम, भवन ऐरो निर्माणकर्ता को समेकित कर में दस प्रतिशत की अधिकतम छूट दे सकेगा जिसने विहित वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है:

परंतु यह छूट नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करने के पश्चात् ही दी जाएगी, कि वर्षा जल संचयन प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

## 12. अपराध तथा शास्ति.—

- (1) सगस्त भवनों में विहित वर्षा जल संचयन प्रणाली विधिवत् स्थापित करना अनिवार्य होगा, तथा निरीक्षण के पश्चात् यदि इन उप विधियों के किसी उपबंधों पर उल्लंघन पाया जाता है, तो भवन स्वामी या निर्माणकर्ता (बिल्डर) पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, यथास्थिति, जो पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि व्यतिक्रमी भवन स्वामी अथवा निर्माणकर्ता यथास्थिति, जिसे किसी उल्लंघन के लिए दण्डित किया गया हो, नियत समय-सीमा के भीतर निदेशों का पालन नहीं करता है, तो उस पर निदेशों के अनुपालन करने तक एक सौ रूपए प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (3) खण्ड 9 के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली को नियमित रूप से न कि खण्ड 9 के अनुसार संचालित करने में असफल रहने पर 500 रूपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा, जो पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगा।
- (4) छत के जलग्रहण क्षेत्र से प्राप्त वर्षा जल को वर्षा जल संचयन प्रणाली से और अतिरिक्त जल को सड़क किनारे स्थित बरसाती नाली से जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई बारिश के पानी को स्थानीय निकायों के मल-जल निकास प्रणाली (सीवर सिस्टम) से जोड़ता हुआ पाया जाता है, तो उस पर पांच सौ रूपए प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जोकि पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।

## 13. वर्षा जल संचयन प्रणाली के संस्थापन की पूर्णता रिपोर्ट.—

- (1) भवन स्वामी या निर्माणकर्ता यथास्थिति, विहित वर्षाजल संचयन प्रणाली के स्थापन के संबंध में जियो टैगिंग के साथ, दिनांक उल्लिखित करते हुए और चैम्बर और पूर्ण प्रणाली की फोटो के साथ पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी, स्थल निरीक्षण के पश्चात्, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (2) यह उपविधियां अतिरिक्त प्रामाणिक रूप से लागू किए जाने योग्य होंगी तथा किन्हीं नियमों के अधीनस्थ नहीं होंगी।

## 14. वर्षा जल संचयन के क्रियान्वयन से संबंधित विशेष उपबंध.—

- (1) इस उपविधियों के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध इन उपविधियों के अधीन जारी आदेशों पर की गई किसी कार्रवाई के लिए कोई भी विधिक वाद, अभियोजन या मुकदमा नहीं किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, जहां वह महसूस करे कि इन उपविधियों के किसी उपबंध का लागू किया जाना साध्य नहीं है, तब लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वह उक्त उपबंधों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकेगा।

- (3) यदि इन नियमों के निर्वचन या लागू किए जाने में कोई संदेह उद्भूत होता है तो मागला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।
15. इन उपविधियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण.— यह उपविधियां पारदर्शिता और जन सामान्य की जागरूकता के लिए नगरपालिक निगम की वेबसाईट पर एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी।।
16. जन जागरूकता एवं प्रोत्साहन.— वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट एवं अन्य प्रचार-प्रसार माध्यमों द्वारा जल संरक्षण और पुनर्भरण को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा तथा लोगों को वर्षाजल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1-08-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 10 एफ-1-08-2022-अठारह-3, दिनांक 4 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 4th April 2022

Notification No. 10 F 1-08/2022/18-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 430 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, under Section 293-A of the Act and Rule 81(4) of the Bhumi Vikash Niyam, 2012 read with Section 427, 40 and 46 hereby, makes the Municipal Corporation (Rainwater Harvesting) Byelaws 2022 exercisable within municipal limits of Municipal Corporation, Indore.

### PART-ONE

#### 1. Short Title and Commencement.-

- (1) These Byelaws shall be called Indore Municipal Corporation (Rainwater Harvesting) Byelaws, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
- (3) All rules, sub-rules, byelaws, orders etc., if any, enforced for the time being on this subject, shall be repealed on the date of publication of these Bye Laws in Madhya Pradesh Gazette. Provided, that anything done, or any action taken under the rules and byelaws so repealed, shall, unless such thing or action is inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these byelaws.

#### 2. Definitions:- In these byelaws, unless the context otherwise requires,-

- (1) **“Aquifer”** means a geographical structure that stores and transmits water;
- (2) **“Builder”** means a person whose job is to build houses and other buildings;
- (3) **“Building”** includes a shed, house, residential building, commercial buildings used for office, Industries or business, Government and Semi Government buildings and residential premises provided by the Government to its employees;



- (4) **“Competent Authority”** means Commissioner, Municipal Corporation or an officer authorized by him;
- (5) **“Ground Water”** means the water retained in the inter-granular pores of soil or fissures of rock below the water table.
- (6) **“Municipal Corporation Act”** means Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);
- (7) **“Water Source”** means any Well, Water Reservoir, Borewell or Piped water supply and any other source, through which water is supplied to public by the Municipal Corporation, Government, or any local Authority, and includes any well or any other drinking water source notified by the authority.

**3. Rainwater Harvesting for increase in ground water resources.**- Recharging groundwater in aquifer and surface water resources through collecting and storing rainwater by stopping its surface flow, is called water harvesting.

**4. Need for Rainwater Harvesting.**-Rainwater harvesting is need for the following purposes: -

- (1) To stop depletion of groundwater level;
- (2) To increase water absorption capacity of soil which has fallen substantially in urban areas due to constructions;
- (3) To increase quality of soil by water mixing;
- (4) To prevent pollution and vaporization of ground water;
- (5) To prevent soil erosion.

## PART- TWO

**5. Basics for Rainwater Harvesting.**- To develop a rainwater harvesting system on a particular site, the physical model shall be based on the average actual rainfall on the particular site, and shall depend on the following components: -

- (1) Depletion in the quantity of surface runoff in the water catchment area;
- (2) To encourage recharging through green areas and engineering works;
- (3) Restoration of old rainwater harvesting structures;
- (4) Rainwater harvesting through rooftop;

(5) Harvesting rainwater through surface flow in open areas.

**6. Structural Design for Rainwater Harvesting system.**-To design a rainwater harvesting system, to increase ground water levels, following broad points shall be considered: -

- (1) The ground water conditions of the area in which type and expanse of aquifer, soil cover, land formation, depth of water level and chemical quality of ground water shall be included;
- (2) Assessment of availability of water resources which are prime requirement for ground water recharging, is done in the shape of non-committal additional monsoon runoff;
- (3) Assessment of areas which contribute to runoff like available area, land use policy, industrial, residential, green belt, constructed area and area of roof etc;
- (4) Assessment of components of meteorological science like period of monsoon, normal rainfall, or intensity of rainfall.

### PART-THREE

**7. Rainwater harvesting on rooftops of Buildings.**-A water harvesting system shall be designed to capture the rainwater which otherwise flows from the roofs of buildings, in such a manner that harvesting and recharging system requires minimal area.

**8. Requirement of rainwater harvesting system.**- The rainwater harvesting system shall be required to be installed in various buildings in the following manner: -

(1) **Residential Buildings.** -

- (i) It will be mandatory for all the residential buildings, already constructed or proposed to be constructed, with an area of 1500 square feet, to install a prescribed rainwater harvesting system, on the roof, or at other suitable place.
- (ii) To obtain building permission, a builder who proposes to build residential buildings on an area between 10,000 sq. feet and 25,000 sq. feet, shall

provide a pit having 4 meters diameter and 15-meter depth (the depth of pit may vary depending upon the strata at the site) for the water harvesting.

- (iii) To obtain building permission, a builder who proposes to build residential buildings on an area above 25,000 sq. feet, shall provide a pit having 6 meters diameter and 15meter depth (the depth of pit may vary depending upon the strata at the site) for the water harvesting.

(2) **Non-residential Buildings. -**

- (i) It will be mandatory for all the non-residential buildings already constructed or proposed to be constructed, to install a prescribed rainwater harvesting system, on the roof, or at other suitable place.
- (ii) To obtain building permission, a builder who proposes to build non-residential buildings on an area between 10,000 sq. feet and 25,000 sq. feet, shall provide a pit having 4 meters diameter and 15meter depth (the depth of pit may vary depending upon the strata at the site) for the water harvesting.
- (iii) To obtain building permission, a builder who proposes to build non-residential buildings on an area above 25,000 sq. feet, shall provide a pit having 6 meters diameter and 15meter depth (the depth of pit may vary depending upon the strata at the site) for the water harvesting.
- (iv) It will be mandatory for Municipal Corporation, Government, and local Government authorities to install rainwater harvesting system on all their buildings.

**9. Regular Inspection.-** For certification to the effect that the rainwater harvesting system is being duly managed, regular inspection of the following components shall be conducted by the designated officers, appointed specially for the purpose: -

- (i) Water collection area of the roof.

- (ii) Water collection system on the roof and land.
- (iii) Pipes installed for downward flow of water from roof, control valve and flash pipe.
- (iv) Filter units.
- (v) Inspection of storage tank along system of with water collection and slip over.

#### PART -FOUR

- 10. Security amount determined by the Government for Rainwater Harvesting.-** It shall be mandatory for the Builder to deposit amount of security along with application for building permission, as per following details: -

S.No.	Area of Building	Amount (INR)
1.	140 Sq. Meter up to 200 Sq. Meter	7000/-
2.	Above 200 Sq. Meter up to 300 sq Meter	10,000/-
3.	Above 300 Sq. Meter up to 400 Sq. Meter	12,000/-
4.	400 Sq. Meter	15,000/-

The amount of security shall be refunded to the builder after Certification and inspection by the designated officer, that rainwater harvesting system has been installed as prescribed and is in working condition.

- 11. Rebate on Tax.-** Municipal Corporation may give a maximum rebate of ten percent on consolidated tax to a builder who has installed prescribed rainwater harvesting system:

Provided that this rebate shall be given, only after the designated officer, certifies that rainwater harvesting system is working smoothly.

**12. Offences and Penalty.-**

- (1) It shall be mandatory to duly install prescribed rainwater harvesting system in all the buildings, and after inspection, if any provisions of these bye laws are found to be violated, a penalty shall be imposed on the building owner or builder, as the case may be, which shall not exceed Rupees five thousand.

- (2) In case, the defaulting building owner, or the builder, as the case may be, who has been penalized for any violation does not comply with the directions within the stipulated time period a penalty of rupees one hundred rupees per day shall be imposed till the compliance of the directions.
- (3) Failure to operate rain water harvesting system regularly and not as per clause 9 shall attract a fine of Rs. 500/- per day, which shall not exceed Rupees five thousand.
- (4) Rain water captured from the roof catchments should be connected to rain water harvesting system and excess water to road side storm drain. And if anyone found connecting rain water to local bodies sewer system, he shall be imposed a penalty of rupees five hundred rupees per day, which shall not exceed Rupees five thousand.

**13. Completion Report of installation of Rainwater harvesting system.-**

- (1) The building owner, or the builder, as the case may be, shall submit a completion report regarding installation of the prescribed rainwater harvesting system with geo tagging, mentioning the date and along with photo of the chamber and complete system and the competent authority after site inspection, shall issue a No Objection Certificate.
- (2) These byelaws shall be applicable in additional authoritative form and shall not be any subordinate to any rules.

**14. Special provisions related to implementation of rainwater harvesting.-**

- (1) No lawsuit, prosecution action or any litigation shall be carried out against any Government Servant appointed or authorized under these byelaws, for any action taken by him, on orders issued under these byelaws.

- (2) Competent authority, under special circumstances, where he feels that application of any of the provisions of these byelaws is not feasible, then by reasons to be recorded in writing, may relax compliance of said provisions.
- (3) If any doubt arises towards interpretation or application of these rules, the matter shall be placed before the competent authority, whose decision shall be final.

**15. Public disclosure of these byelaws to the public.-** These byelaws shall be displayed on the web site of the Municipal Corporation and by other mediums for transparency and for information of the general public.

**16. Public awareness and encouragement.-** To promote rainwater harvesting, the public shall be made aware about measures to improve water conservation and recharging, through internet and other advertisement mediums and encourage public to install rainwater harvesting system.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
TARUN RATHI, Dy. Secy.